

[2025] 3 एससीआर आर 208:2025 आई. एन. एस. सी 236

मेसर्स टेक्नो प्रिंट्स

बनाम

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 2362/2025)

12 फरवरी 2025

[जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन, न्यायमूर्तिगण]

विचारण हेतु वाद प्रश्न

क्या उत्तरवादियों ने अपीलार्थी- ठेकेदार के विरुद्ध अनुबंध के खंडों के उल्लंघन के आरोप को ध्यान में रखते हुए कारण बताओं सूचना जारी करके न्यायोचित कार्य किया कि उन्हें तीन साल की अवधि के लिए काली सूची में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए; और क्या कारण बताओं सूचना को चुनौती देने से उत्पन्न अपील पर विचार किया जाना चाहिए।

हेडनोट्स †

निविदा - निविदा अनुबंध - अनुबंध का उल्लंघन- काली सूची में नाम डालने का आदेश - प्राधिकारी की काली सूची में नाम डालने की शक्ति - दायरा - कारण बताओं सूचना- जारी करना - उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा अपीलार्थी को निविदा प्रदान किया गया - उत्तरवादी क्रमांक द्वारा अपीलार्थी को इस आशय का कारण बताओं सूचना कि उसे तीन साल की अवधि के लिए काली सूची में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए और अनुबंध के खंडों के उल्लंघन के लिए प्रतिभूति जमा/बयाना राशि को क्यों नहीं जब्त कर लिया

जाना चाहिए - अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका प्रस्तुत - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया - इसके खिलाफ प्रस्तुत अपील भी खारिज कर दिया गया - शुद्धता

अभिनिर्धारित किया गया : आम तौर पर, एक रिट न्यायालय को किसी भी ऐसी याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, जिसमें कारण बताओं सूचना को चुनौती दी गई हो, जब तक कि न्यायालय को विश्वास न हो कि यह किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जिसके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, या वह दुर्भावना से दूषित है - इन सभी खंडों का तात्त्विक सार यह है कि यदि अपीलार्थी निर्धारित अवधि के भीतर मुद्रण का कार्य पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो इसके परिणामस्वरूप उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा - मार्गदर्शक सिद्धांत हैं कि मामले में कब और किस परिस्थितियों में काली सूची में नाम डालने का आदेश तब पारित किया जा सकता है, हमारी राय में प्राधिकारी द्वारा कारण बताओं सूचना जारी करते समय ऐसे सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए - मामले के तथ्यों में, जिसके सामने यह कहा जा सकता है कि प्राधिकारी के लिए ठेकेदार से कारण बताओं सूचना जारी करने का कोई उचित कारण नहीं था कि उसे काली सूची में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए - प्राधिकारी के पास ठेकेदार को काली सूची में डालने की अंतर्निहित शक्ति है लेकिन इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित आधार होना चाहिए - किसी भी मामले में अंतिम आदेश कारण बताओं सूचना से परे नहीं जा सकता है - क्या यह काली सूची में डालने का मामला बनता है? यह निर्धारित करने के लिए जाँच होनी चाहिए कि क्या किसी ठेकेदार को काली सूची में डालने के लिए यह सही मामला है या किसी अन्य दंड जैसे कि बयाना राशि को जब्त करना, नुकसान की वसूली आदि से काम चल सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार काली सूची में डालने का आदेश पारित हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति का व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। यह एक कठोर कदम है - इसलिए, जबकि स्वयं प्रतिबंध स्थायी नहीं हो सकता है और केवल एक सीमित पूर्व निर्धारित अवधि के लिए प्रभावी रह सकता है, इसका नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक

प्रतिबंधित इकाई के व्यवसाय को परेशान करना जारी रखता है - यदि किसी ठेकेदार के विरुद्ध इस आरोप के आधार पर काली सूची में नाम डालने के दंडात्मक उपाय किया जाना है कि उसने एक अनुबंध का उल्लंघन किया है, तो उसके आचरण की प्रकृति इतनी असामान्य या अनैतिक होनी चाहिए ताकि इस तरह के दंडात्मक उपाय की आवश्यकता हो - कोई और आरोप लगाए बिना केवल संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन का आरोप, अपने आप में, इस तरह की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित नहीं करता है - उत्तरवादी क्रमांक 1 बयाना राशि जब्त करें। हालांकि, कारण बताओं सूचना अपीलार्थी से यह पूछने के लिए जारी किया गया था कि उसे काली सूची में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए को निरस्त किया जाता है। [कंडिका क्रमांक 16,24,29,30,32-37]

न्याय दृष्टान्त जो प्रस्तुत किए गए

कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मुख्य महाप्रबंधक पश्चिमी दूरसंचार परियोजना बी. एस. एन. एल. और अन्य [2013] 14 एस.सी.आर. 430 : ए.आई.आर. 2014 एस. सी. 9;
ब्लू ड्रीमज़ एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम कोलकाता नगर निगम।
और अन्य। [2024] 8 एस.सी.आर. 189 : 2024 आई. एन. एस. सी. 589;
एसियन इक्विपमेंट & केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1975] 2 एस. सी. आर. 674 : (1975) 1 एस. सी. सी. 70 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

निविदा; निविदा अनुबंध; अनुबंध का उल्लंघन; काली सूची में नाम डालना; काली सूची में नाम डालने की प्राधिकारी की शक्ति; कारण बताओं सूचना; प्रतिभूति जमा/बयाना राशि; ठेकेदार को काली सूची में डालने की प्राधिकारी में अंतर्निहित शक्ति; बयाना राशि को जब्त करना; नुकसान की वसूली; विधिक निवारण; निविदा की शर्तों का उल्लंघन उल्लंघन; कोविड-19 महामारी; पाठ्यपुस्तक मुद्रण निविदा; काली सूची में नाम डालने का कलंक; काली सूची में नाम डालने का आदेश का दंडात्मक उपाय।

वह प्रकरण जिनसे अपील उद्भूत हुआ

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील क्रमांक 2362/2025

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रिट अपील क्रमांक 72/2023 में पारित निर्णय और आदेश से उद्भूत।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से : गौरव अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, चंद्रशेखर ए. चकदब्वी, वैभव शुक्ला, हिमांशु सिन्हा, अंशुल राय, अधिवक्तागण।

उत्तरवादीगणों की ओर से : अंकित मिश्रा, अर्चित मंध्यन, सुश्री कनुप्रिया मिश्रा, शांतनु कृष्णा, अधिवक्ता।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. यह अपील बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट अपील क्रमांक 72/2023 में पारित निर्णय और आदेश से उद्धृत हुई है, जिसके माध्यम से इस प्रकरण के अपीलार्थी द्वारा दायर रिट अपील खारिज कर दी गई और इस प्रकार अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज करने के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई है।
3. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य को संक्षेप में निम्नानुसार है:-
 - (क) इस अपील के अपीलार्थी, विगत कई वर्षों से मुद्रण के व्यवसाय में है।
 - (ख) अपीलार्थी कंपनी उन 30 फर्मों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम (उत्तरवादी क्रमांक 1 यहाँ) के साथ पंजीकृत है।
 - (ग) इस मुकदमे की विषयवस्तु कारण बताओं सूचना है, जो उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा अपीलार्थी फर्म को जारी किया गया था, जिसके द्वारा फर्म को कारण बताओं सूचना जारी किया गया था कि क्यों न उसे तीन साल की अवधि के लिए काली सूची में डाला जाना चाहिए और बयाना राशि रुपये. 5,00,000/- (केवल पाँच लाख रुपये) को जब्त कर लिए जाएँ। अपीलार्थी फर्म से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया था कि उसके द्वारा अपने अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में चूक के कारण निगम को हुए नुकसान की वसूली उससे क्यों न की जाए।
4. प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है अर्थात याचिकाकर्ता फर्म को निगम अर्थात उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा जारी निविदाओं में से एक में एल-1 घोषित किया गया था । उत्तरवादी क्रमांक के अनुसार अपीलार्थी फर्म ने निविदा अनुबंध के कुछ खंडों का उल्लंघन किया है।
5. उत्तरवादी क्रमांक के अनुसार निविदा दस्तावेज/अनुबंध के सुसंगत खंड जिसका उल्लंघन किया गया है, इस प्रकार है:-

“16.1 कार्य आदेश में उल्लिखित पुस्तकों की आपूर्ति की अवधि मुद्रण आदेश की दिनांक से अधिकतम 90 दिन है। बोलीदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह आवंटित मुद्रण और बंधन कार्य को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करे, अर्थात् कार्य आदेश में उल्लिखित अधिकतम 90 दिनों के भीतर। आपात स्थिति में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम आवश्यकता के अनुसार पुस्तकों की आपूर्ति की अवधि को कम कर सकेगा। इस संबंध में प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा और संबंधित बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

XXX XXX XXX

- 16.3 यदि किसी भी स्तर पर काम की प्रगति उम्मीद से धीमी पाई जाती है और यदि निगम को विश्वास हो जाता है कि मुद्रक समय पर काम पूरा नहीं कर पाएगा, तो निगम अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त कर देगा और इसे अन्य मुद्रक को दे देगा। इस तरह के निरस्त होने की स्थिति में, मुद्रक की प्रतिभूति जमा/बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और मुद्रक किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

XXX XXX XXX

- 16.9 यदि निविदाकार को समूह/समूहों की एल-1 दर के आधार पर सबसे कम दर वाले मुद्रक को प्रदान किया जाता है और निगम समूह/समूहों की अपनी एल-1 दर (सबसे कम निविदाकार) के आधार पर निविदाकार को मुद्रण कार्य आवंटित करता है, तो भी यदि निविदाकार मुद्रण कार्य करने से इनकार करता है या काम पूरा नहीं करता है, तो इस स्थिति में निगम को निविदाकार को 3 (तीन) वर्षों के लिए ब्लैक

लिस्ट में रखने का अधिकार है और प्रतिभूति जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।”

6. उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा जारी कारण बताओं सूचना ही वह विषयवस्तु है जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके चुनौती का विषय बना दिया गया था
7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज करते हुए अवधारित किया कि :-

“8. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विवाद को सुनने के बाद और अभिलेखों के अवलोकन पर इस समय जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1297/2021 (शारदा ऑफसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम.छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम और एक अन्य) और उक्त रिट याचिका के निर्णय के प्रवर्तनशील भाग को तैयार संदर्भ के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“1. इस रिट याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2021 को चुनौती दी गई है जिसके तहत याचिकाकर्ता को 3 साल की अवधि के लिए काली सूची में डाल दिया गया है। 23. इसलिए, जब काली सूची में नाम लिखने के आदेश की तुलना कारण बताओं सूचना से की जाती है, तो वर्तमान मामला, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि काली सूची में नाम लिखने का आदेश कारण बताओं सूचना में वर्णित आधारों से बाहर जाकर पारित किया गया था। मुख्य जोर इस बात पर था कि याचिकाकर्ता को बैंक गारंटी से अधिक कागजी सामग्री प्राप्त हुई है, जिसके लिए अनुबंध में खंड 6.1 के तहत उपाय शामिल हैं। 4. बैंक गारंटी देने के संबंध में अनुबंध के खंड 13.3

और 13.6 के तहत काली सूची बनाई गई थी। यहां तक कि खंड 3 भी कारण बताओं का हिस्सा नहीं था। कारण बताओं सूचना केवल खंड 13.3 और 13.6 तक ही सीमित था। खंड 13.3 और 13.6 को पढ़ने से पता चलता है कि वे सामान्य शब्दों में हैं क्योंकि खंड 13.3 का तात्पर्य है कि संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में कोई विफलता या अनुबंध के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन, बोलीदाता को काली सूची में डाल सकता है। खंड 13.6 में आगे कहा गया है कि मुद्रक यदि निगम के किसी भी कर्मचारी को किसी भी अनधिकृत तरीके से प्रभावित करता पाया जाता है, तो उसे भी काली सूची में डाल दिया जाएगा। चिंता राम साहू के बयान और उनके खिलाफ पुलिस जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया और सर्वव्यापी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने निगम के कर्मचारियों को प्रभावित किया था और उसने पुलिस को प्रभावित किया था, जिसके कारण याचिकाकर्ता को काली सूची में डाला जा सकता था। 24. उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, मेरा विचार है कि इस मामले में काली सूची में डालने का आदेश कारण बताओं सूचना के दायरे से परे है, इसलिए यह निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, आदेश दिनांक 02.01.2021 को निरस्त किया जाता है। उपरोक्त निष्कर्ष के साथ यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है।”

9. उपरोक्त आदेश के सरसरी अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि मुकदमेबाजी के पहले दौर में चुनौती काली सूची के आदेश तक ही सीमित थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर निर्णय लेते समय कारण बताओं दिनांक 03.04.2020 के रूप में केवल काली सूची में

नाम डालने के आदेश का परीक्षण किया था। उच्च न्यायालय ने किसी भी समय उत्तरवादियों को विधि के अनुसार जांच करने और कार्यवाही करने से नहीं रोका था। इसने केवल पूर्व में काली सूची में नाम डालने के आदेश दिनांक 02.01.2021 को विधिक रूप से खराब और कारण बताओं सूचना दिनांक 13.04.2020 की अंतर्वस्तु के विपरीत पाया था।

10. कारण बताओं सूचना की अंतर्वस्तु को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह पता चलता है कि उत्तरवादियों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के संबंध में तात्त्विक तथ्यों को छिपाकर उत्तरवादी-निगम से कागजात उठाने के संबंध में कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं।

11. केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय द्वारा काली सूची में नाम डालने के पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया गया है, उत्तरवादी-निगम को याचिकाकर्ता द्वारा की गई अनियमितता के लिए, विधि के अनुसार, उचित कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगा, यदि कोई। यही कारण है कि याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्पष्ट करते हुए एक नया कारण बताओं सूचना जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण तथा उनके समर्थन में सभी सुसंगत दस्तावेज, उत्तरवादियों के समक्ष प्रस्तुत किए। इस तरह का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने पर उत्तरवादी अधिकारी इस पर विधिवत विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं और केवल उचित तरीके से विचार करने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर वे अग्रिम कार्यवाही करने के लिए उचित निर्णय ले सकते हैं।

12. इसके अलावा, कार्यवाही से जो भी परिलक्षित होता है, वह यह है कि पूर्व में प्रस्तुत की गई रिट याचिका को स्वीकार कर लिए जाने के बाद, उत्तरवादियों ने अब दिनांक 14.12.2022 को याचिकाकर्ता को एक विस्तृत

कारण बताओं सूचना जारी किया है, जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है। सूचना स्पष्ट रूप से उन कागजातों के विवरण का संकेत देता है, जो याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी-निगम से अलग-अलग समय पर मुद्रण और प्रकाशन उद्देश्य के लिए एकत्र किए थे। जिस मुख्य प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि चूंकि कारण बताओं सूचना को पहले कोई चुनौती नहीं दी गई थी और यह केवल काली सूची में नाम डालने का आदेश था जिसे चुनौती दी गई थी, इसलिए यह उत्तरवादियों को किसी आरोप के संबंध में जांच करने से नहीं रोकेगा जैसा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कारण बताओं सूचना में दिखाया गया है।

13. आगे विचार करने योग्य प्रश्न यह भी है कि यदि पूर्व में प्रस्तुत की गई रिट याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है, जिसमें विशेष रूप से काली सूची में नाम डालने का आदेश को चुनौती दी गई थी, तो क्या यह उत्तरवादियों को किसी भी अवैधता के संबंध में कोई कार्रवाई शुरू करने से हर समय के लिए बाधित करने के बराबर नहीं होगा, जिसका पता याचिकाकर्ता और उत्तरवादियों के बीच किए गए अनुबंध के संबंध में उत्तरवादियों द्वारा लगाया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी तर्क और आरोप केवल इस तथ्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप विधि की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि यह पहले से ही मुकदमे के पहले दौर अर्थात् रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1325/2021 में परीक्षण के अधीन है। जबकि पूर्व में प्रस्तुत की गई रिट याचिका के आदेश के अवलोकन पर स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उक्त रिट याचिका में केवल काली सूची में नाम डालने के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसका परीक्षण रिट न्यायालय द्वारा की गई थी और यह काली सूची में नाम डालने का आदेश था जिसे अपास्त/अभिखंडित किया गया है। रिट न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1325/2021 में पूर्व में दिए गए निर्णय में यह नहीं

माना है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप नहीं बनता हैं। रिट न्यायालय ने केवल इतना माना है कि काली सूची में नाम डालने के लिए जो आधार उठाए गए थे, उसका वर्णन कारण बताओं सूचना में नहीं था और काली सूची में नाम डालने का आदेश, कारण बताओं सूचना के दायरे से बाहर जा रहा था।

14. इन परिस्थितियों में, उसी अनुबंध के संबंध में जारी किए गए पश्चातवर्ती कारण बताओं सूचना टिकाऊ होगा और इसे इस स्तर पर मनमाना या विधि में बुरा नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ता के पास अपने जवाब में जहां तक आरोपों का संबंध है, अपना स्पष्टीकरण देने के लिए सभी अधिकार और स्वतंत्रता होगी, जिसे उन्हें कारण बताओं सूचना में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस तरह का जवाब दिए जाने पर संबंधित अधिकारी इस पर विधिवत विचार करने और फिर एक उचित निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आलोक में कारण बताओं सूचना पर आगे कोई कार्यवाही करना है या नहीं?

15. इस न्यायालय का यह दृष्टिकोण "उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ब्रह्म दत्त शर्मा और अन्य", (1987) 2 एस. सी. सी. 179 और "सचिव, रक्षा मंत्रालय और अन्य बनाम प्रभास चंद्र मिर्धा "(2012) 11 एस. सी. सी. 565 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मजबूत होता है। इस न्यायालय ने हाल ही में रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4431/2019 (कविता शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य) में याचिकाकर्ता को दी गई एक जांच प्रतिवेदन पर रिट याचिका का दिनांक 05.12.2019 को निराकरण करते हुए कंडिका क्रमांक 11 से 14 में निम्नानुसार निर्णय दिया है :-

“11. उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाए गए आरोपों के संबंध

में शुद्धता का पता लगाने के लिए खुद को एक तथ्य खोजने वाले निकाय के रूप में प्रतिस्थापित नहीं करेगा और न ही यह न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के खिलाफ ऐसे जाँच जिनका विषय-वस्तु से कोई संबंध नहीं होता नहीं कर सकता है।

12. उच्चतम न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ब्रह्म दत्त शर्मा और अन्य [1987 (2) एस. सी. सी. 179]** के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे का निराकरण करते हुए यह राय व्यक्त की थी कि, "कारण बताओ सूचना जारी करने का उद्देश्य शासकीय कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना है और स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद, शासन के पास यह विकल्प खुला रहता है कि शासकीय कर्मचारी द्वारा रखे गए तथ्यों और तर्कों के आलोक में मामले पर विचार करे, उसके बाद ही मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। उस चरण से पहले न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अपरिपक्व होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कहा कि हमारी राय में उच्च न्यायालय को कारण बताओ सूचना में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

13. पुनः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **"सचिव, रक्षा मंत्रालय और अन्य बनाम प्रभास चंद्र मिर्धा "(2012) 11 एस. सी. सी. 565** के मामले में की कंडिका 8,10 और 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :- "8. आरोप पत्र को साधारण ढंग से निरस्त करने की अनुमति विधि नहीं देता है। यदि दोषी कर्मचारी को आरोप पत्र के संबंध में कोई शिकायत है, तो उसे एक

अभ्यावेदन दायर करके इस प्रश्न को ध्यान में लाना चाहिए और उस पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 10. आम तौर पर, आरोप-पत्र या कारण बताओ सूचना के खिलाफ एक रिट आवेदन इस कारण से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा कि यह किसी भी वाद कारण को जन्म नहीं देता है। यह एक प्रतिकूल आदेश के बराबर नहीं है जो किसी भी पक्ष के अधिकार को प्रभावित करता है जब तक कि ऐसा आदेश क्षेत्राधिकार/प्राधिकार विहीन व्यक्ति द्वारा जारी नहीं किया गया हो। एक रिट तब लागू होती है जब किसी पक्ष के किसी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। वास्तव में, आरोप पत्र किसी पक्ष के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। यह केवल तभी होता है जब सजा देने वाला या किसी पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला अंतिम आदेश पारित किया जाता है, तो इससे व्यथित हुआ जा सकता है जो वाद कारण हो सकता है। इस प्रकार, अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप पत्र या कारण बताओ सूचना को न्यायालय द्वारा सामान्य रूप से निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। 12. इस प्रकार, इस मुद्दे पर विधि को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि आरोप पत्र आम तौर पर चुनौती का विषय नहीं हो सकता है क्योंकि यह अपराधी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता है कि यह किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए सक्षम नहीं है। न तो अनुशासनात्मक कार्यवाही और न ही आरोप पत्र को प्रारंभिक चरण में निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह

विवादों का निराकरण करने के लिए समय से पूर्व का चरण होगा।

14. उपरोक्त विधिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओं सूचना का एक विस्तृत जवाब भी प्रस्तुत किया है, अधिकारियों ने अभी तक कारण बताओं सूचना पर कोई निर्णय नहीं लिया है। वर्तमान रिट याचिका अपने वर्तमान रूप में पोषणीय नहीं होगी। याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताओं सूचना के जवाब में की गई सभी दलीलों पर विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने की उम्मीद की जाती है।”

16. उक्त तथ्यों को देखते हुए, याचिकाकर्ता के कारण बताओं सूचना का विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, इस समय रिट याचिका खारिज की जाती है।”

8. अपीलार्थी के रिट याचिका को खारिज करने के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होने के कारण अपील में चला गया।

9. अपीलीय न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए निम्नानुसार अवधारित किया:-

“4. सूचना के उपरोक्त भाग के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि यह केवल एक कारण बताओं सूचना है और इस विवाद पर निर्णय लेने के लिए अपीलार्थी का जवाब मांगा गया है और यह कहने के लिए कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है कि उत्तरवादी ने पहले ही मामले में अंतिम निर्णय ले लिया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विस्तृत

सुनवाई के बाद कंडिका क्रमांक 9 से 14 में निम्नानुसार अवधारित किया:-

9. उपरोक्त आदेश के सरसरी अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि मुकदमेबाजी के पहले दौर में चुनौती काली सूची के आदेश तक ही सीमित थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर निर्णय लेते समय कारण बताओं दिनांक 03.04.2020 के रूप में केवल काली सूची में नाम डालने के आदेश का परीक्षण किया था। उच्च न्यायालय ने किसी भी समय उत्तरवादियों को विधि के अनुसार जांच करने और कार्यवाही करने से नहीं रोका था। इसने केवल पूर्व में काली सूची में नाम डालने के आदेश दिनांक 02.01.2021 को विधिक रूप से खराब और कारण बताओं सूचना दिनांक 13.04.2020 की अंतर्वस्तु के विपरीत पाया था।
10. कारण बताओं सूचना की अंतर्वस्तु को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह पता चलता है कि उत्तरवादियों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के संबंध में तात्त्विक तथ्यों को छिपाकर उत्तरवादी-निगम से कागजात उठाने के संबंध में कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं।
11. केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय द्वारा काली सूची में नाम डालने के पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया गया है, उत्तरवादी-निगम को याचिकाकर्ता द्वारा की गई अनियमितता के लिए, विधि के अनुसार, उचित कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगा, यदि कोई। यही कारण है कि याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्पष्ट करते हुए एक नया कारण बताओं सूचना

जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण तथा उनके समर्थन में सभी सुसंगत दस्तावेज, उत्तरवादियों के समक्ष प्रस्तुत किए। इस तरह का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने पर उत्तरवादी अधिकारी इस पर विधिवत विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं और केवल उचित तरीके से विचार करने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर वे अग्रिम कार्यवाही करने के लिए उचित निर्णय ले सकते हैं।

12. इसके अलावा, कार्यवाही से जो भी परिलक्षित होता है, वह यह है कि पूर्व में प्रस्तुत की गई रिट याचिका को स्वीकार कर लिए जाने के बाद, उत्तरवादियों ने अब दिनांक 14.12.2022 को याचिकाकर्ता को एक विस्तृत कारण बताओं सूचना जारी किया है, जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है। सूचना स्पष्ट रूप से उन कागजातों के विवरण का संकेत देता है, जो याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी-निगम से अलग-अलग समय पर मुद्रण और प्रकाशन उद्देश्य के लिए एकत्र किए थे। जिस मुख्य प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि चूंकि कारण बताओं सूचना को पहले कोई चुनौती नहीं दी गई थी और यह केवल काली सूची में नाम डालने का आदेश था जिसे चुनौती दी गई थी, इसलिए यह उत्तरवादियों को किसी आरोप के संबंध में जांच करने से नहीं रोकेगा जैसा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कारण बताओं सूचना में दिखाया गया है।

13. आगे विचार करने योग्य प्रश्न यह भी है कि यदि पूर्व में प्रस्तुत की गई रिट याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है,

जिसमें विशेष रूप से काली सूची में नाम डालने का आदेश को चुनौती दी गई थी, तो क्या यह उत्तरवादियों को किसी भी अवैधता के संबंध में कोई कार्रवाई शुरू करने से हर समय के लिए बाधित करने के बराबर नहीं होगा, जिसका पता याचिकाकर्ता और उत्तरवादियों के बीच किए गए अनुबंध के संबंध में उत्तरवादियों द्वारा लगाया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी तर्क और आरोप केवल इस तथ्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप विधि की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि यह पहले से ही मुकदमे के पहले दौर अर्थात् रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1325/2021 में परीक्षण के अधीन है। जबकि पूर्व में प्रस्तुत की गई रिट याचिका के आदेश के अवलोकन पर स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उक्त रिट याचिका में केवल काली सूची में नाम डालने के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसका परीक्षण रिट न्यायालय द्वारा की गई थी और यह काली सूची में नाम डालने का आदेश था जिसे अपास्त/अभिखंडित किया गया है। रिट न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1325/2021 में पूर्व में दिए गए निर्णय में यह नहीं माना है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप नहीं बनता हैं। रिट न्यायालय ने केवल इतना माना है कि काली सूची में नाम डालने के लिए जो आधार उठाए गए थे, उसका वर्णन कारण बताओं सूचना में नहीं था और काली सूची में नाम डालने का आदेश, कारण बताओं सूचना के दायरे से बाहर जा रहा था।

14. इन परिस्थितियों में, उसी अनुबंध के संबंध में जारी किए गए पश्चातवर्ती कारण बताओं सूचना टिकाऊ होगा और इसे

इस स्तर पर मनमाना या विधि में बुरा नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ता के पास अपने जवाब में जहां तक आरोपों का संबंध है, अपना स्पष्टीकरण देने के लिए सभी अधिकार और स्वतंत्रता होगी, जिसे उन्हें कारण बताओं सूचना में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस तरह का जवाब दिए जाने पर संबंधित अधिकारी इस पर विधिवत विचार करने और फिर एक उचित निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आलोक में कारण बताओं सूचना पर आगे कोई कार्यवाही करना है या नहीं?

10. उपरोक्त वर्णित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।
11. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल और उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित मिश्रा को सुना।
12. हमने इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2023 को पारित आदेश का अवलोकन किया, जो इस प्रकार है:-

“श्री प्रियंक उपाध्याय, विद्वान एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने उत्तरवादियों की ओर से सूचना स्वीकार किया। इसलिए, उत्तरवादियों को औपचारिक सूचना जारी किए जाने से छुट प्रदान की जाती है।

याचिका पर आपत्ति, यदि कोई हो, दायर की जाए।

इस बीच, सूचना दिनांक 14.12.2022 के आधार पर किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही किए जाने पर रोक होगी।”

13. इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि अंतरिम आदेश के माध्यम से, कारण बताओं सूचना के आधार पर आगे की कार्यवाही किए जाने पर रोक लगा दी गई थी।

14. इस अपील में हमारे विचार के लिए जो संक्षिप्त बिंदु उत्पन्न होता है वह यह है क्या हमें कारण बताओं सूचना को चुनौती देने वाली इस अपील पर विचार करना चाहिए।
15. दूसरा मुद्दा जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या इस मामले के तथ्यों में उत्तरवादियों ने विशेष रूप से उल्लंघन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को कारण बताओं सूचना जारी करके न्यायोचित कार्य किया कि उन्हें तीन साल की अवधि के लिए काली सूची में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए।
16. यह सच है कि आम तौर पर, एक रिट न्यायालय को किसी भी ऐसी याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, जिसमें कारण बताओं सूचना को चुनौती दी गई हो, जब तक कि न्यायालय को विश्वास न हो कि यह किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जिसके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, या वह दुर्भावना से दूषित है।
17. यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी को निगम द्वारा पुस्तकों को छापने का अनुबंध सौंपा गया था। यह अनुबंध 2020 में किसी समय किया गया था। दुर्भाग्य से, 2020 के मध्य से, पूरा देश कोविड-19 महामारी की जकड में था। अपीलार्थी द्वारा यह उचित रूप से स्वीकार किया गया है कि अनुबंध के संदर्भ में दायित्व का निर्वहन उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण नहीं किया जा सका है। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी को उस समय अवधि का पालन करने की अपेक्षा किया गया था जो निविदा सूचना में विहित की गई थी।
18. उपरोक्त को सही रूप में अनुबंध के उल्लंघन का मामला कहा जा सकता है। एकमात्र बिंदु यह है कि क्या अनुबंध के इस तरह के उल्लंघन का परिणाम काली सूची में नाम शामिल करना होगा ।

19. यह सच है कि निविदा दस्तावेज की शर्तों में यह प्रावधान है कि यदि पक्षकार अनुबंध की अपनी शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है, तो उसका नाम काली सूची में शामिल किए जाने योग्य होगा।
20. हम निविदा अनुबंध में इस तरह की शर्त की वैधता और मान्यता का परीक्षण करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। निविदा जारी करने वाले पक्षकार के पास यह अंतर्निहित शक्ति हमेशा बनी रहती है। लेकिन हम उन तथ्यों के आधार पर जो हमारे सामने हैं इसकी तर्कसंगतता का परीक्षण कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, क्या अपीलार्थी ने कुछ ऐसा किया है जो इतना गंभीर है कि वह काली सूची में डालने योग्य है।
21. अपीलार्थी की ओर से श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि जब तक कि धोखा देने या अनुचित लाभ उठाने का कोई आशय न हो किसी को काली सूची में नहीं डाला जा सकता है या यहां तक कि कारण बताओं सूचना भी जारी नहीं किया जा सकता है कि आपको काली सूची में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए, जो वर्तमान मामला में नहीं है। उन्होंने तर्क किया कि इस संबंध में कुछ भी संकेत नहीं है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर चूक की। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को वापस लिया जाना चाहिए।
22. इसके विपरीत, निगम की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि काली सूची में नाम डालने की कार्यवाही इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि इसमें अपीलार्थी द्वारा चूक जानबूझकर किया गया था या नहीं, या अनुचित लाभ उठाने या धोखा देने का कोई आशय था या नहीं। यह अनुबंध के उल्लंघन और उत्तरवादियों को हुए नुकसान पर निर्भर करता है।
23. कारण बताओं सूचना इस प्रकार है:

“छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम

कार्यालय परिसर, ब्लॉक-बी, सेक्टर-24 अतई नगर,

नवा रायपुर

क्रमांक/2806/पी.पी.एन/मुद्रण/2020-21/2022 रायपुर 14/12/2022 222

प्रति,

टेक्नो प्रिंट,

बंजारी माता मंदिर के पीछे, हीरा स्टील के पास,

रावनभाटा

रायपुर छत्तीसगढ़।

विषय: कारण बताओं सूचना।

संदर्भ:- शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए बयाना राशि वापस के संबंध में आपका पत्र दिनांक 23.12.2020, 06.01.2021, 03.06.2021, 08.11.2021, 03.12.2021, 15.02.2022, 01.04.2022।

शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए पाठ्यपुस्तक मुद्रण निविदा में आपके द्वारा जमा की गई बयाना राशि विषय में निर्दिष्ट पत्रों के माध्यम से मांगी गई है। इस संबंध में, शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए आपके द्वारा की गई पाठ्यपुस्तक छपाई का तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है-शिक्षा सत्र 2020-21 के तहत पाठ्यपुस्तकों की छपाई के लिए निगम द्वारा जारी निविदा में भाग लेकर आपसे प्राप्त एल-1 दरों पर काम करने के लिए अनुबंध दिनांक 23.12.2019 को किया गया था। शिक्षा सत्र 2020-21 में छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा जारी पाठ्यपुस्तक मुद्रण निविदा के कंडिका 6.1 में, एकल वेब ऑफसेट मशीन के लिए 8 मिलियन टन प्रति दिन और दोहरी या अधिक वेब ऑफसेट मशीनों के लिए 16 मिलियन टन प्रति दिन की मुद्रण क्षमता मुद्रकों के लिए

तय की गई थी। तदनुसार, लगभग 1267.496 मीट्रिक टन पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण कार्य के लिए कार्य आदेश आपको निर्दिष्ट कार्य आदेशों के माध्यम से निविदा में आपके द्वारा भरी गई डबल ऑफसेट मशीन और 10 समूहों में एल-1 की सहमत क्षमता के अनुसार प्रदान किया जाता है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

आदेश क्रमांक 3776 दिनांक 08.01.2020

समूह सदस्य	उप समूह क्रमांक	पुस्तक का नाम	कक्षा	अनुमानित पृष्ठ क्रमांक	पुस्तक क्रमांक	70 जीएसएम कागज़ मात्रा मीटर टन में	220 जीएसएम कवर पेपर शीटनं.	एल-1
	ए.	अंग्रेज़ी (एस. जेड)	5	108	236275	55.182	60250	0.2090
	ए.	अंग्रेज़ी (एस. जेड)	5	108	14208	3.138	3623	0.2090
	बी.	अंग्रेज़ी (एस. जेड)	6	128	248514	68.789	63371	0.2090
	बी.	अंग्रेज़ी (एस. जेड)	6	128	13698	3.792	3493	0.2090
13	बी.	गणित (एस.जेड.)	7	272	2589769	152.326	66037	0.2090
17	ए.	हिंदी (एस.जेड.)	2	104	239607	53.888	61100	0.2090
17	ए.	हिंदी (एस.जेड.)	2	104	34201	7.692	8721	0.2090

38	ए.	हिंदी सरगुजिह- संस्कृत (एस. जेड.)	3	160	30295	10.482	7725	0.2090
38	ए.	हिंदी सरगुजिह- संस्कृत (एस. जेड.)	3	160	5396	1.867	1376	0.2090
38	बी.	गणित (एस.जेड.)	4	160	214923	74.363	54805	0.2090
कुल						431.698	330501	

आदेश क्रमांक 4013 दिनांक 17.01.2020

समूह सदस्य	उप समूह क्रमांक	पुस्तक का नाम	कक्षा	अनुमानित पृष्ठ क्रमांक	पुस्तक क्रमांक	70 जीएसएम कागज़ मात्रा मीटर टन में	220 जीएसएम कवर पेपर शीटनं.	एल-1
	ए.	विज्ञान (एस. जेड)	10	360	234862	182.240	59890	0.2150
	बी.	अंग्रेज़ी (एस. जेड)	7	144	236402	73.616	60283	0.2090
	बी.	अंग्रेज़ी (एस. जेड)	7	144	9034	2.813	2304	0.2090
कुल						259.269	122477	

आदेश क्रमांक 4460 दिनांक 18.02.2020

समूह सदस्य	उप समूह क्रमांक	पुस्तक का नाम	कक्षा	अनुमानित पृष्ठ क्रमांक	पुस्तक क्रमांक	70 जीएसएम कागज़ मात्रा मीटर टन में	220 जीएसएम कवर पेपर शीटनं.	एल-1
1	बी.	विज्ञान (एस. जेड)	10	216	16563	7.737	4224	0.20
1	सी.	गणित (एस. जेड)	6	244	246729	130.187	62296	0.20
1	ए.	इतिहास एवं नागरिक शास्त्र (एस. जेड)	6	128	8717	2.413	2223	0.20
20	बी.	पर्यावरण (एस. जेड)	7	124	239544	64.234	61084	0.2090
20	ए.	हिंदी (एस.जेड.)	3	128	240413	66.546	61305	0.2090
20	ए.	योग शिक्षा भाग - 1 (एस.जेड.)	7	128	8850	2.450 64.715	2257	0.2090
	बी.	योग शिक्षा भाग - 1 (एस.जेड.)	1	56	534393	64.71581.63 7	53481	0.2090
	सी.	गणित (एस. जेड.)	2	180	209730	81.637 91.825	55244	0.2090
	बी.	गणित (एस. जेड.)	3	196	216645	91.825 62.388	38316	0.2150

ए.	श्यामला संस्कृत (एस.जेड.)	10	192	150260	62.388 2.397	1472	0.2150
ए.	श्यामला संस्कृत (एस.जेड.)	10	192	5772	2.397	478792	0.2150
कुल					576.529	478792	

निविदा खंड 16.1 में उल्लेख किया गया है कि

“ 16.1 कार्य आदेश में उल्लिखित पुस्तकों की आपूर्ति की अवधि मुद्रण आदेश की दिनांक से अधिकतम 90 दिन है। बोलीदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह आवंटित मुद्रण और बंधन कार्य को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करे, अर्थात् कार्य आदेश में उल्लिखित अधिकतम 90 दिनों के भीतर। आपात स्थिति में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम आवश्यकता के अनुसार पुस्तकों की आपूर्ति की अवधि को कम कर सकेगा। इस संबंध में प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा और संबंधित बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

जिन क्रम में जिन मुद्रकों को मुद्रण कार्य आदेश ए, 4460 दिनांक 18.02.2020 के तहत मुद्रण कार्य आदेश दिया गया था, उन्हें समय सीमा के अनुसार मुद्रण आदेश जारी होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर मुद्रण और वितरण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

इस संबंध में, आपका पत्र कार्यालय में दिनांक 05.03.2020 को प्राप्त हुआ था, जिसके माध्यम से आपने समय अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाने का अनुरोध किया है, जबकि निगम ने अन्य 24

मुद्रकों के साथ भी एक समझौता किया था, जिसमें से उक्त दिनांक को 09 अन्य मुद्रकों को भी उसी समय सीमा के अनुसार मुद्रण कार्य आदेश जारी किए गए थे। आपसे संबद्ध 02 संगठनों, रामराजा प्रिंटर्स और प्रगति प्रिंटर्स को छोड़कर, अन्य मुद्रकों द्वारा उक्त मुद्रण कार्य आदेश के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी।

पाठ्यपुस्तक मुद्रण निविदा के बाद, कंडिका 9.1 में, मुद्रकों को मुद्रण के लिए कागज की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित प्रावधान किया गया था:-

- 9.1 स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद चयनित बोलीदाता उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कागजी लागत के 20 प्रतिशत के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से एक वर्ष के लिए वैध बैंक गारंटी/एफ. डी. आर. प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक समूहों में एल-1 है तो वह एक या अधिक समूहों के लिए बैंक गारंटी/एफ. डी. आर. (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) प्रस्तुत कर सकता है, और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम आवंटित समूह/समूहों के लिए उसके द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी/एफ. डी. आर. की राशि का दोगुना कागज आवंटित करेगा। उदाहरण के लिए- यदि बोलीदाता एक समूह के लिए बैंक गारंटी/एफ. डी. आर. जमा करता है (यानी संबंधित समूह के काम को पूरा करने के लिए आवश्यक कागज की लागत का 20 प्रतिशत), तो उस विशेष/एकल समूह के लिए आवश्यक कागज आवंटित किया जाएगा, लेकिन कागज की मात्रा बैंक गारंटी/एफ. डी. आर. की राशि के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। संबंधित डिपो में कागज का अगला आवंटन सख्ती से 80 प्रतिशत आपूर्ति प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा। यदि मुद्रण

कार्य की प्रगति असंतोषजनक पाई जाती है, तो प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम संबंधित समूह/शेष समूह के शेष कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार एल-1 दर पर दूसरे मुद्रक को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निविदा के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, आपको लगभग 280 मीट्रिक टन रील पेपर की आपूर्ति करके पाठ्यपुस्तकों को प्रिंट करना होगा, जिसके खिलाफ आपने अपनी शिकायत प्रस्तुत की है, दिनांक 11.03.2020 की स्थिति में, पुस्तकों को केवल 136 मीट्रिक टन कागज का उपयोग करके डिपो में आपूर्ति की गई थी।

मुद्रण निविदा खंड 16.3 के प्रावधान के अनुसार:-

- 16.3 यदि किसी भी स्तर पर काम की प्रगति उम्मीद से धीमी पाई जाती है और यदि निगम को विश्वास हो जाता है कि मुद्रक समय पर काम पूरा नहीं कर पाएगा, तो निगम अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त कर देगा और इसे अन्य मुद्रक को दे देगा। इस तरह के निरस्त होने की स्थिति में, मुद्रक की प्रतिभूति जमा/बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और मुद्रक किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

तदनुसार, मुद्रण कार्य की धीमी गति के लिए, आपको निगम द्वारा दिनांक 11.03.2020 सूचना पत्र क्रमांक 4825 जारी किया गया था, जिसके बाद आपने निगम की सकारात्मक शाखा को दिनांक 17.03.2020 पत्र भेजा और सकारात्मक मुद्रण के लिए निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण दिनांक 18.02.2020 को मुद्रण आदेश क्रमांक 4825 दिया था, मुद्रण कार्य हेतु अक्षमता व्यक्त की गई थी-

समूह सदस्य	उप समूह क्रमांक	पुस्तक का नाम	कक्षा	अनुमानित पृष्ठ क्रमांक	पुस्तक क्रमांक	70 जीएसएम कागज़ मात्रा मीटर टन में	220 जीएसएम कवर पेपर शीटनं.	एल-1
	बी.	विज्ञान (एस. जेड.)	6	216	16563	7.737	4224	Techno
	ए.	हिंदी (एस.जेड.)	7	128	240413	66.546	61305	Techno
	ए.	हिंदी (एस.जेड.)	7	128	8850	2.450	2257	Techno
	ए.	श्यामला संस्कृत (एस.जेड.)	10	192	150260	62.388	38316	Techno
	ए.	श्यामला संस्कृत (एस.जेड.)	10	192	5772	2.397	1472	Techno
कुल				421858	141.518	141.518	107574	

प्रबंध निदेशक की मंजूरी के अनुसार, मुद्रण आदेश क्रमांक 4480 दिनांक 18.02.2020 के बिंदु ए.02 में, सकारात्मक/सी.डी. की आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया गया था -

2. खंड 13.3.1 के अनुसार, निगम द्वारा मुद्रकों को निविदा की राशि जहां तक संभव हो, आपूर्ति आदेश में उल्लिखित पुस्तकों की सकारात्मक/सी. डी. मुद्रण आदेश के साथ दी जाएगी। केवल एक सकारात्मक सेट होने के मामले में, मुद्रक को सीधे सकारात्मक सेट या सी.डी. का उपयोग करके मुद्रण कार्य को पूरा करने के लिए बारी-

बारी से (साझा करने के आधार पर) काम करना होगा। प्रिंटिंग प्लेट को सी.टी.पी. द्वारा बनाना होगा और मुद्रित करना होगा। जहाँ तक संभव हो सकारात्मक/सी.डी. की जाँच करें। सकारात्मक प्राप्त करने के बाद, किसी भी सकारात्मक में कमी या क्षति के मामले में, यह मुद्रक की जिम्मेदारी होगी कि वह निगम द्वारा आपूर्ति की गई सी.डी. से नए सकारात्मक उत्पन्न करके मुद्रण कार्य को पूरा करे। आपूर्ति की जा रही सकारात्मक/सी.डी. के संबंध में आवश्यक नियम और शर्तें संलग्न हैं।

उपरोक्त कंडिका के अनुसार, दिनांक 18.02.2020 को जारी किए गए मुद्रण कार्य आदेश में, मुद्रण कार्य को अन्य मुद्रकों द्वारा साझा करने के आधार पर सकारात्मक/सी.डी. का उपयोग करके पूरा किया गया था। इसमें उनके द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। तदनुसार, आपने स्पष्ट रूप से निविदा के खंड 13.3.1 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

फिर से दिनांक 13.04.2020 को निगम को एक पत्र भेजकर, आपको दिनांक 22.03.2020 को प्रिंटिंग प्रेस के बंद होने के बारे में सूचित किया गया था, साथ ही कोरोना लॉकडाउन के कारण 17 अप्रैल 2020 से मुद्रण और वितरण कार्य को 02 महीने तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।

कोरोना लॉकडाउन के कारण, निगम की ओर से मुद्रण कार्य की अवधि 17 अप्रैल 2020 से बढ़ा कर मुद्रण और वितरण की तारीख 17 मई 2020 की गई है, की ईमेल पत्र दिनांक तक 28.04.2020 तक, आपकी मुद्रण क्षमता के अनुसार निगम द्वारा आवंटित 1267.496 मिलियंस में से केवल 549.927 मिलियंस मुद्रित किए गए हैं। प्रिंटिंग

के लिए अंतिम सहमति दी गई, जबकि निगम के अन्य मुद्रकों ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी प्रिंटिंग का काम जारी रखते हुए आवंटित काम पूरा किया।

निगम की एन. आई. सी. शाखा की प्रतिवेदन के अनुसार, आपके द्वारा 90 दिनों के अनुसार (पिछले 75 दिनों में, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा आवंटित मुद्रण कार्य 1267.5 मीट्रिक टन था, जिसमें से “निटन” की 15213 पाठ्यपुस्तकें अर्थात 11.15 प्रतिशत केवल मुद्रण कार्य पूरा किया गया था।

मुद्रण निविदा खंड 16.3 के प्रावधान के अनुसार:-

16.3 यदि किसी भी स्तर पर काम की प्रगति उम्मीद से धीमी पाई जाती है और यदि निगम को विश्वास हो जाता है कि मुद्रक समय पर काम पूरा नहीं कर पाएगा, तो निगम अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त कर देगा और इसे अन्य मुद्रक को दे देगा। इस तरह के निरस्त होने की स्थिति में, मुद्रक की प्रतिभूति जमा/बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और मुद्रक किसी भी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

निगम द्वारा आपकी फर्म की अप्रकाशित 717.569 मीटर पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण और वितरण कार्य। मुद्रकों की आपूर्ति और उन्हें पूरा करना पड़ता था। आपके द्वारा आवंटित 1267.496 मीट्रिक टन में से केवल 549.927 मीट्रिक टन का काम निम्नानुसार पूरा किया गया था:

समूह सदस्य	उप समूह क्रमांक	पुस्तक का नाम	कक्षा	अनुमानित पृष्ठ क्रमांक	पुस्तक क्रमांक	70 जीएसएम कागज़ मात्रा	220 जीएसएम कवर पेपर	एल-1

						मीटर टन में	शीटनं.	
10	ए.	अंग्रेजी (एस. जेड)	5	108	236275	55.182	60250	0.2090
10	ए.	अंग्रेजी (एस. जेड)	5	108	14208	3.318	3623	0.2090
10	बी.	अंग्रेजी (एस. जेड)	6	128	248514	68.789	63371	0.2090
10	बी.	अंग्रेजी (एस. जेड)	6	128	13698	3.792	3493	0.2090
13	बी.	गणित (एस.जेड.)	7	272	258969	152.326	66037	0.2090
17	ए.(i)	हिंदी (एस.जेड.)	2	104	107652	24.211	27451	0.2090
62	सी.(i)	हिंदी (एस.जेड.)	2	104	32000	7.197	8160	0.2090
38	ए.	हिंदी सरगुजिह- संस्कृत (एन. जेड.)	3	160	30295	10.482	7725	0.2090
38	ए.	हिंदी सरगुजिह- संस्कृत (एन. जेड.)	4	160	214923	74.363	54805	0.2090
38	बी.	गणित (एन.जेड.)	4	160	214923	74.363	54805	0.2090
17	बी.	अंग्रेजी (एस. जेड)	7	144	236402	73.616	60283	0.2090

17	बी.	अंग्रेजी (एस. जेड)	7	144	9034	2.813	2304	0.2090
20	बी.	पर्यावरण (एस. जेड)	3	124	239544	64.234	61034	0.2090
11	बी.	विज्ञान (एस. जेड)	6	216	16563	7.37	4224	0.2090
कुल					1663473	549.927	424186	

मुद्रण निविदा खंड 16.9 में यह उल्लेख किया गया है कि:-

16.9 यदि निविदाकार समूह/समूहों की एल-2 दर के आधार पर सबसे कम दर वाले मुद्रक को दिया जाता है और निगम समूह/समूहों की 1-1 दर (सबसे कम निविदाकार) के आधार पर निविदाकार को मुद्रण कार्य आवंटित करता है, तो भी यदि निविदाकार मुद्रण कार्य करने से इनकार करता है या काम पूरा नहीं करता है। इस स्थिति में निगम को निविदाकर्ता को 3 (तीन) वर्षों के लिए काली सूची में रखने का अधिकार है और प्रतिभूति जमा और बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

चूंकि निविदा के विभिन्न समूहों में एल-1 होने के बाद भी, निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित पाठ्यपुस्तक मुद्रण को पूरा नहीं करने के कारण, निगम को इसे अन्य मुद्रकों को आवंटित करके पूरा करना पड़ा, इसलिए निविदा खंड 16.3 और 16.9 के प्रावधान के अनुसार अपनी प्रतिभूति राशि और शेष जमा से उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली क्यों नहीं की जाए?

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, आपने धारा 16.1, 16.3, 1 3.3 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है।

क्यों न आपके खिलाफ 16.9 का प्रावधान लागू किया जाए? उल्लिखित तथ्यों के संबंध में, सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 02 सप्ताह के भीतर ऊपर जारी किए गए कारण बताओं सूचना का लिखित जवाब दें।

(प्रबंध निदेशक द्वारा आदेशित)

महाप्रबंधक

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम

रायपुर

पृष्ठ क्रमांक// पी. पी. एन./मुद्रण/2020-21/2022 रायपुर दिनांक / / 2022

प्रतिलिपि:-

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, आपने धारा 16.1, 16.3, 1 3.3 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है।

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम रायपुर को सूचनार्थ।
2. निज सहायक, प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम रायपुर जानकारी को सूचनार्थ।

महाप्रबंधक

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम

रायपुर

(जोर दिया गया)

24. अतः, निगम के अनुसार इस प्रकरण के अपीलार्थी ने अनुबंध खंड 13.3, 16.1, 16.3 और 16.9 क्रमशः का उल्लंघन किया है। इन सभी खंडों का तात्त्विक सार यह है कि यदि अपीलार्थी निर्धारित अवधि के भीतर मुद्रण का कार्य पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो इसके परिणामस्वरूप उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। निगम ने अपीलार्थी के इस कथन को अस्वीकार कर दिया कि वह था कोविड-19 महामारी के कारण निर्धारित समय सीमा का पालन करने में असमर्थ था।
25. **कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम महाप्रबंधक, पश्चिमी दूरसंचार परियोजना बी. एस. एन. एल. और अन्य, ए. आई. आर. 2014 एस.सी. 9** के मामले में इस न्यायालय ने अंतर्निहित अनुबंध की शर्तों के आधार पर किसी कंपनी को काली सूची में डालने की प्राधिकारी की शक्ति के संबंध में उचित टिप्पणियां की हैं। उक्त मामले में, कुलजा इंडस्ट्रीज (ठेकेदार) को प्राधिकारी के साथ धोखाधड़ी कर के भुगतान प्राप्त करने के आरोपों पर बी. एन. एस. एल. (प्राधिकारी) द्वारा काली सूची में डाला गया। उक्त मामले में इस न्यायालय ने प्राधिकारी द्वारा पारित काली सूची के आदेश को निरस्त कर दिया, क्योंकि इससे ठेकेदार के व्यवसाय स्थायी रूप से प्रभावित हो रहा था। इस न्यायालय ने वैधानिक प्राधिकारियों की शक्तियों की सीमाओं की पहचान की कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। इस न्यायालय ने जाँच करने के बाद अयोग्यता और काली सूची से संबंधित निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों में कहा गया है कि एक ठेकेदार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति निविदा दस्तावेज में प्रदान की गई थी और ऐसी शक्ति को एक अंतर्निहित शक्ति के रूप में पढ़ा जा सकता है और उसी के संदर्भ में, प्राधिकारी को यह दिखाना होगा कि आपूर्तिकर्ता:

ए. आदतन समय पर उपकरणों की आपूर्ति करने में विफल;

बी. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों ने संतोषजनक प्रदर्शन नहीं किया या किसी विशेष मानक के नहीं थे; या

स. पर्याप्त आधार के बिना निविदा का सम्मान करने में विफल रहा।

26. निस्संदेह, **कुलजा इंडस्ट्रीज (पूर्वोक्त)** ने संबंधित प्राधिकारी द्वारा पारित काली सूची में नाम डालने के अंतिम आदेश पर गौर किया। हम अभी भी कारण बताओ नोटिस के चरण में हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त तीन मार्गदर्शक परिस्थितियाँ या आधार हैं जिनके आधार पर प्राधिकारी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में उचित हो सकता है।

27. इस न्यायालय ने **द ब्लू ड्रीमज़ एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम कोलकाता नगर निगम और अन्य** ने 2024 आई. एन. एस. सी. 589 के मामले में लगभग इसी प्रकार के तथ्यों पर काली सूची में नाम डालने का आदेश जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया था को निरस्त करते हुए निम्नानुसार अवधारित किया :

1. यदि अनुबंध की शर्तों के आधार पर पक्षों के बीच कोई वास्तविक विवाद मौजूद है, तो शास्ति के रूप में काली सूची में नहीं डाला जा सकता है।
2. काली सूची में नाम डालने के आदेश की शास्ति केवल तभी अधिरोपित किया जा सकता है जब गैरजिम्मेदार या बेईमान ठेकेदारों से सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो, और
3. निगम एक सांविधिक निकाय है, अतः काली सूची में नाम डालने का आदेश पारित करने से पहले उच्च सीमा को पूरा करना होगा, इसलिए उसके द्वारा उठाए जाने वाले कदम उचित होने चाहिए।

28. पुनः, इस न्यायालय का उपरोक्त निर्णय एक ऐसे मामले में दिया गया था जिसमें काली सूची में नाम डालने का आदेश पहले ही पारित किया जा चुका था।
29. हालाँकि, हमारे लिए यह कहना महत्वपूर्ण है कि जब इस न्यायालय द्वारा बताए गए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं कि मामले में कब और किस परिस्थितियों में काली सूची में नाम डालने का आदेश तब पारित किया जा सकता है, हमारी राय में प्राधिकारी द्वारा कारण बताओं सूचना जारी करते समय ऐसे सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दिए गए मामले के तथ्यों में, जिसके सामने यह कहा जा सकता है कि प्राधिकारी के लिए ठेकेदार से कारण बताओं सूचना जारी करने का कोई उचित कारण नहीं था कि उसे काली सूची में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए। उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते समय ठेकेदार को कार्यवाही का सामना करने के लिए क्यों कहा जाए, कारण बताओं सूचना जारी करना एक निरर्थक औपचारिकता होगी। हम यह सब इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं।
30. इसलिए प्राधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह कारण बताओं सूचना जारी करने से पहले बहुत सावधानी बरतें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्यों को अच्छी तरह से समझेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ठेकेदार द्वारा किस तरह का उल्लंघन किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक ठेकेदार को काली सूची में डालने की के लिए प्राधिकारी शक्ति हमेशा एक अंतर्निहित शक्ति होती है । लेकिन इस तरह के अंतर्निहित शक्ति होने और ऐसी शक्ति का प्रयोग दो अलग-अलग स्थितियाँ हैं । शक्ति हो सकती है लेकिन ऐसी शक्ति का प्रयोग उचित होनी चाहिए। ऐसी शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त आधार पर होने चाहिए।
31. इसे दृष्टान्त के माध्यम से इस प्रकार समझाया जाता है, पुलिस के पास गिरफ्तार करने की शक्ति है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में गिरफ्तारी की

जानी चाहिए। पुलिस को पता होना चाहिए कि क्या सभी मामलों में गिरफ्तारी की आवश्यकता है।

32. हम इसे थोड़े अलग तरीके से समझते हैं। उदाहरण के लिए, कारण बताओं सूचना को लें। वर्तमान मामले में, कारण बताओं सूचना ही काली सूची में डालने का अंतिम आदेश है। किसी भी मामले में, अंतिम आदेश कारण बताओं सूचना से आगे नहीं जा सकता है। इसलिए, हम कारण बताओं सूचना को अंतिम आदेश के रूप में लेते हैं। क्या यह काली सूची में डालने का मामला बनता है? यह निर्धारित करने के लिए जाँच होनी चाहिए कि क्या किसी ठेकेदार को काली सूची में डालने के लिए यह सही मामला है या किसी अन्य दंड जैसे कि बयाना राशि को जब्त करना, नुकसान की वसूली आदि से काम चल सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार काली सूची में डालने का आदेश पारित हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति का व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। यह एक कठोर कदम है। एक बार ठेकेदार को काली सूची में डालने का अंतिम आदेश पारित हो जाने के बाद ठेकेदार के पास संविधान की अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का शरण लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। यदि वह एकल न्यायाधीश के समक्ष सफल हो जाता है तब यह बहुत अच्छा है अन्यथा उसे एक रिट अपील या एल. पी. ए. प्रस्तुत करनी पड़ सकती है जैसा भी मामला हो। इससे फिर से उच्च न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमेबाजी होगी। प्रयास मुकदमेबाजी को कम करने का होना चाहिए न कि उच्च न्यायालय पर अधिक बोझ डालने का। वर्तमान प्रकार के मुकदमों वाले न्यायालय विशेष रूप से तब जब विधि बहुत अच्छी तरह से सुलझा हुआ हो और आगे किसी भी बहस की कोई गुंजाइश न हो।

33. जैसा कि इस न्यायालय ने **एसियन इन्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड** में कहा है। **बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1975) 1 एस. सी. सी. 70** के मामले में यह

अवधारित किया है कि, काली सूची में उस पक्षकार का नाम डालने से बदनामी होती है जो कलंकित आदेश है। इस तरह की प्रकृति और उसके आयात को देखते हुए, अपने संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक ठेकेदार जिससे इस प्रकार का परिणाम उत्पन्न हुआ के साथ इस प्रकार की कार्यवाही करना अनुचित और मनमाना होगा। एक ठेकेदार का नाम काली सूची में डालने के आदेश के कठोर परिणामों को देखते हुए इस शक्ति का सहारा लेने के लिए मजबूत, स्वतंत्र और भारी सामग्री होनी चाहिए। काली सूची में डालने की शक्ति का उपयोग तब नहीं किया जाना चाहिए जब इसके लिए आधार केवल किसी विशेष अनुबंध की अवधि या शर्त का उल्लंघन हो सकती और जब दोनों पक्षों के लिए विधिक निवारण उपलब्ध हो। अन्यथा, प्रत्येक उल्लंघन के लिए, हालांकि निवारण के विधिक तरीके हैं और जो हमारे सामने निगम की तरह पक्ष को क्षतिपूर्ति करते हैं, यह काली सूची में डालने का सहारा लेगा और कभी-कभी लंबित विधिक कार्यवाही का परित्याग कर देगा या बरबाद कर देगा।

34. स्पष्ट रूप से, यदि किसी ठेकेदार के विरुद्ध इस आरोप के आधार पर काली सूची में नाम डालने के दंडात्मक उपाय किया जाना है कि उसने एक अनुबंध का उल्लंघन किया है, तो उसके आचरण की प्रकृति इतनी असामान्य या अनैतिक होनी चाहिए ताकि इस तरह के दंडात्मक उपाय की आवश्यकता हो। कोई और आरोप लगाए बिना केवल संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन का आरोप, अपने आप में, इस तरह की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित नहीं करता है।
35. आम तौर पर, निविदा में भाग लेते समय, बोलीदाता को एक वचनपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिसमें कहा जाता है कि उसे अब तक किसी भी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और यदि ऐसा नहीं है, तो इस तरह की काली सूची में डाले जाने के संबंध में जानकारी प्रदान करें। यह बोली लगाने वाले के पिछले अनुभव के रूप में कार्य करता है जो खरीदार को बोली लगाने वाले

और उससे अपेक्षित आचरण की उचित तस्वीर देता है। इसलिए, जबकि स्वयं प्रतिबंध स्थायी नहीं हो सकता है और केवल एक सीमित पूर्व निर्धारित अवधि के लिए प्रभावी रह सकता है, इसका नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक प्रतिबंधित इकाई के व्यवसाय को परेशान करना जारी रखता है। परिणामस्वरूप, इसे इतनी गंभीर सजा के रूप में देखा जाता है कि समान रूप से गंभीर कार्रवाई के बाद इसका पालन करना चाहिए।

36. मामले के समग्र दृष्टिकोण में, विशेष रूप से मामले के विशिष्ट तथ्यों में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी को कारण बताओं सूचना जारी कर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहना और फिर अंतिम आदेश की प्रतीक्षा करना जो शायद उसके खिलाफ जा सकता है, जिससे उसके पास सक्षम क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है महज एक औपचारिकता के अलावा और कुछ नहीं होगा। अन्यथा भी, यदि हमेशा नहीं तो कम से कम अधिकांश समय कारण बताओं सूचना जारी करना केवल एक खाली औपचारिकता होती है क्योंकि जिस समय कारण बताओं सूचना जारी किया जाता है, उसी समय प्राधिकारी ने अंततः ठेकेदार को काली सूची में डालने का अंतिम आदेश पारित करने का मन बना लिया है। दूसरे शब्दों में, अधिकांश मामलों में सूचना जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित सोच के साथ जारी किया जाता है। इसे सिर्फ इसलिए जारी किया जाना है क्योंकि इस न्यायालय ने कहा है कि सुनवाई का अवसर दिए बिना काली सूची में नाम डालने का आदेश कोई आदेश नहीं हो सकता है। सिर्फ इससे बचने के लिए सूचना जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा कारण बताओं सूचना जारी एक औपचारिकता पूरी की जाती है।
37. हम स्पष्ट करते हैं कि यह उत्तरवादी निगम के लिए खुला रहेगा रुपये 5,00,000/- की बयाना राशि जब्त करें। हालांकि, कारण बताओं सूचना अपीलार्थी से यह पूछने

के लिए जारी किया गया था कि उसे काली सूची में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए को निरस्त किया जाता है।

38. आगे कुछ भी कहे बिना, हम उपरोक्त शर्तों के साथ इस अपील का निराकरण करते हैं।
39. काली सूची के भाग को छोड़कर, कारण बताओं सूचना के अन्य सभी भाग अछूते हैं।
40. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, को निराकृत समझा जाए।

मामले का परिणाम : अपील का निराकरण किया गया।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।